

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-1/एम.25/23/2024/25626/101 दिनांक:- 12.3.2024

✓ चिकित्सा अधीक्षक,
सवाई मानसिंह चिकित्सालय,
जयपुर।

विषय:-श्री महेश चन्द पारिक, वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी, सेवानिवृत्त को पे-माईनस पेंशन के आधार पर पुनर्नियुक्ति के संबंध में।
संदर्भ:-आपका पत्रांक 577 दिनांक 24.1.2024 के कम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा श्री महेश चन्द पारिक, वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी सेवानिवृत्त जो दिनांक 31.01.2024 को राज्य सेवा सेवानिवृत्त हुए के सेवा-अभिवृद्धि हेतु प्रस्ताव निदेशालय को भिजवाये गये थे, जिसमें प्रशासनिक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि राजस्थान सिविल सेवा(पेंशन) नियम 1996 में सेवाविस्तार /अभिवृद्धि का कोई प्रावधान नहीं है। यदि श्री महेश चन्द पारिक, वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी, (सेवानिवृत्त) राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 151 के अन्तर्गत पे-माईनस पेंशन के आधार पर पुनर्नियुक्ति चाहते हैं, तो वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 22.09.2014 के कम में कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 31.03.2015 की पूर्ण पालना सुनिश्चित करते हुए संलग्न प्रोफार्मा की पूर्ति कर प्रकरण तैयार कर भिजवावे, जिससे प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही किया जाना संभव हो

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-1/एम.25/28/2024/25626/101 दिनांक:- 12.3.2024

प्रतिलिपी:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ जोन जयपुर।
2. संबंधित कार्मिक को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
3. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि पत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
4. रक्षित/गार्ड पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

RajKaj Ref
6068724

Document certified by RAKESH KUMAR
SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>.

Digitally Signed by Rakesh
Kumar Sharma
Designation: Director
Date :12-03-2024 01:49:52

DFA